



(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

RBA No. 56 /2020
GST Circular No. 31 /2020

2018/AC-II/1/14

9th July, 2020

**General Managers
All Zonal Railways/Production Units**

Sub :- Matching of GSTR-2A data---Input Tax credit (ITC) Reconciliation.

Ref:- Railway Board's letter dated 28.5.2020 (RBA No. 49/2020)

-x-x-x-

Attention is invited to Board's letter ibid, wherein it was brought out that all the accounting units may continue to do reconciliation in the manner detailed vide GST Circular No 05/2020 dated 18.1.2020, followed by GST Circular No. 08/2020 dated 04.02.2020, as per the detailed process mentioned therein for ITC reconciliation with GSTR-2A data. Given the fact that availment of ITC in respect of procurement made in Financial Year 2019-2020 can only be availed/adjusted upto 30.9.2020, it is desired that the process of reconciliation may be expedited, so that Input Tax Credit that is due to Indian Railways may be availed/adjusted by Indian Railways within the prescribed time-limit.

This may kindly be treated as 'Most Urgent'.

**(V.Prakash)
Joint Director/Accounts
Railway Board**

Copy to:-

1. PFAs of all Zonal Railways and Production Units;
2. All EDs of the ED level Empowered Committee in Railway Board;
3. All Directors of GST Cell, Railway Board.
4. Managing Director, Centre for Railway Information Systems, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director/Finance, CRIS, New Delhi.
6. GM/GSTM, CRIS, New Delhi.

भारत सरकार (GOVERNMENT OF INDIA)

रेल मंत्रालय (MINISTRY OF RAILWAYS)

रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)

आरबीए सं.56/2020

जीएसटी परिपत्र सं.31/2020

2018/एसी/II/1/14

9 जुलाई, 2020

महाप्रबंधक

सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय: जीएसटीआर 2ए डाटा का मिलान...इनपुट टैक्स क्रेडिट(आईटीसी) का समाधान।

संदर्भ: रेलवे बोर्ड का पत्र दिनांक 28.5.2020 (आरबीए सं. 49/2020)।

आपका ध्यान बोर्ड के उक्त पत्र की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि सभी लेखांकन इकाइयां जीएसटीआर-2ए डाटा के साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट के समाधान के लिए उसमें उल्लिखित विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार दिनांक 4.2.2020 के जीएसटी परिपत्र सं.08/2020 का अनुसरण करते हुए दिनांक 18.1.2020 के जीएसटी परिपत्र सं. 05/2020 के तहत विस्तृत तरीके से समाधान करती रहें। इस तथ्य को देखते हुए कि वित्त वर्ष 2019-2020 में की गई खरीद के संबंध में आईटीसी का लाभ 30.09.2020 तक उठाया/समायोजित किया जा सकता है, यह वांछा की जाती है कि समाधान की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए ताकि भारतीय रेलों को देय इनपुट टैक्स क्रेडिट को भारतीय रेलों द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त / समायोजित किया जा सके।

कृपया इसे 'अति आवश्यक' माना जाए।



(वी. प्रकाश)

संयुक्त निदेश/लेखा

रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि:

1. सभी क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों के प्रधान वित्त सलाहकार;
2. रेलवे बोर्ड में कार्यपालक निदेशक स्तर की अधिकार प्रदत्त समिति के सभी कार्यपालक निदेशक;
3. जीएसटी कक्ष, रेलवे बोर्ड के सभी निदेशक।
4. प्रबंध निदेशक, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5. निदेशक/ वित्त, क्रिस, नई दिल्ली।
6. महाप्रबंधक/जीएसटीएम, क्रिस, नई दिल्ली।